न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—पवनकुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:—04/2021

1. पवन कुमार पुत्र देवीलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 16, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. नीलम स्वामी पत्नी पवन कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 16, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

———प्रार्थीगण

बनाम्

राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक—16.04.2021

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि—प्रार्थीगण के नाम से वाके तहसील अनूपगढ़ के चक 6 पीजी एम का मुरब्बा नं. 38, पत्थर संख्या 280/443 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 21 ता 25 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि है। प्रार्थीगण, अनावेदक की कृषि भूमि ग्राम 6 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 38, पत्थर संख्या 280/443 के किला नं. 8, 13, 18 में भूमिगत पाईपलाईन डालना चाहते हैं इस संबंध में आवेदकगण द्वारा श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ से मौखिक निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय से उक्त पाईनलाईन डालने की स्वीकृति प्राप्त कर ही पाईपलाईन डालने का कहा। इसलिए आवेदकगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे पाईपलाईन डालने की स्वीकृति माननीय न्यायालय से प्राप्त करें।

प्रार्थीगण की उक्त भूमि दो टुकड़ों में है जिस कारण प्रार्थीगण को सिंचाई करने एवं बीजान्द में अत्यधिक परेशानी होती है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के किला नं. 3 में ट्यूबवैल लगा हुआ है। आवेदकगण किला नं. 3 में लगे ट्यूबवैल किला नं. 8, 13, 18 में से होकर किला नं. 23 तक पाईपलाईन उत्तम सिंचाई व पैदावार में बढ़ोतरी के उद्देश्य से डालना/स्वीकृत करवाना चाहते हैं। वांछित पाईपलाईन डालने से आवेदकगण की भूमि सीधी आपस में जुड़ जायेगी तथा भूमि की सिंचाई व पैदावार में बढ़ोतरी होगी। आवेदकगण अपने खर्चे पर पाईपलाईन सतह से 3 फुट नीचे डालेगें एवं अनावेदक की भूमि समतल करके देगें एवं आवेदकगण न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर राशि भी अप्रार्थी/अनावेदक को संदाय हेतु तैयार हैं। आवेदकगण जिस संस्थान से पाईपलाईन डालना चाहते है वह लघुत्तम, सुगम है इसलिए स्वीकृति प्रदान की जानी न्यायोचित है। अतः वांछित पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्र[illegible]े।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 17:23:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजि. कर अप्रार्थी तहसी[illegible]क 2 पीजीएम 'बी' से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आवेदकगण [illegible] रकबा के किला नं. 3 स्थित ट्यूबवैल से सिंचाई सुविधा हेतु भूमिगत पाईपलाईन शुद्धरव[illegible]राज किला नं. 8, 13, 18 [illegible] डालना चाहते हैं। प्रस्तावित पाईपलाईन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक सुविधाजनक मार्ग नहीं है। प्रस्तावित पाईपलाईन आवेदक की सिंचाई सुविधा हेतु नितान्त आवश्यक है। प्रस्तावित पाईपलाईन पूर्णतया भूमिगत है तथा प्रस्तावित पाईपलाईन में कोई अवरोध यथाभवन, बोरवेल आदि नहीं है।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने तहसील अनूपगढ़ के चक 6 पीजी एम का मुरब्बा नं. 38, पत्थर संख्या 280/443 के किला नं. 1/1,

1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 21 ता 25 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए अपनी उक्त कृषि भूमि के किला नं. 3 में स्थापित ट्यूबवैल से बेहतर सिंचाई सुविधा के लिये ग्राम 6 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 38 पत्थर संख्या 280/443 के शुद्ध रकबा राज 8, 13, 18 के नीचे भूमिगत पाईपलाईन डालकर सिंचाई सुविधा हेतु अनुमति चाही है। प्रस्तावित भूमि की अलावा अन्य कोई निकटतम उचित विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक अनूपगढ़ के चक 6 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 38 पत्थर संख्या 280/443 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 21 ता 25 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए चक 6 पीजी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 38, पत्थर संख्या 280/443 के किला नं.–3 में स्थित ट्यूबवैल से चक 6 पीजी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 38, पत्थर संख्या 280/443 के शुद्ध रकबा राज भूमि किला नं. 8, 13, 18 में भूमिगत पाईपलाईन 1.5 फुट चौड़ाई की खाली खोदकर उक्त खाली में भूमिगत तीन फीट गहरी पाईपलाईन डालकर सिंचाई करने की अनुमति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है–

शर्ते–

1. पाईपलाईन डालते समय आवागमन में किसी प्रकार भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
2. मशीन द्वारा 3–3 फुट गहरा खड्डा खोदकर उसमें भूमिगत पाईपलाईन डालकर व गड्डों को मिट्टी द्वारा भरकर पुनः उसी स्थिति में समतल किया जावे, ताकि किसी काश्तकार को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हो।
3. प्रार्थी पाईपलाईन डालने हेतु तीन फुट गहरी खुदाई को स्वयं के खर्चे पर भराई करके भूमि/रास्ता समतल करेगा।
4. शुद्ध रकबा राज भूमि वाके चक 6 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 38, पत्थर संख्या 280/443 के किला नं. 8, 13, 18 में पाईपलाईन डालने की ऐवज में प्रतिकर संदाय (राजस्व लेखाकार द्वारा) कर राज. काश्त. (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के **दस प्रतिशत** राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार, अनूपगढ़ नियमानुसार प्राप्त राशि को सुसंगत मद में राजकोष मे जमा करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 17:23:10 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़